रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2012/चैत्र 3, 1934
No. 500] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2012/CHAITRA, 1934

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

का.आ. 578(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 82(अ), तारीख 14 जनवरी, 2011 को अधिक्रांत करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा लोप किए गए कार्यों को छोड़कर, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों में कार्यरत अकुशल शारीरिक कर्मकारों को स्तंभ (3) के अधीन संदेय मजदूरी दर तारीख 1 अप्रैल, 2012 से विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अकुशल शारीरिक कर्मकारों के लिए राज्य-वार मजदूरी दर
(रु. प्रति दिन)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	प्रतिदिन मजदूरी की दर
(1)	(2)	(3)
1	असम	136.00 रु.
2	आन्ध्र प्रदेश	137.00 रु.
3	अरुणाचल प्रदेश	124.00 रु.
4	बिहार	122.00 रु.
5	गुजरात	134.00 रु.
6	हरियाणा	191.00 रु.
7	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र 126.00 रु. अनुसूचित क्षेत्र 157.00 रु.
8	जम्मू-कश्मीर	131.00 रु.
9	कर्नाटक	155.00 रु.
10	केरल	164.00 रु.
11	मध्य प्रदेश	132.00 रु.
12	महाराष्ट्र	145.00 रु.
13	मणिपुर	144.00 रु.
14	मेघालय	128.00 रु.
15	मिजोरम	136.00 रु.
16	नागालैंड	124.00 रु.
17	ओडिशा	126.00 रु.
18	पंजाब	166.00 रु.
19	राजस्थान	133.00 रु.
20	सिक्किम	124.00 रु.
21	तमिलनाडु	132.00 रु.
22	त्रिपुरा	124.00 रु.
23	उत्तर प्रदेश	125.00 रु.
24	पश्चिमी बंगाल	136.00 रु.
25	छत्तीसगढ़	132.00 रु.
26	झारखंड	122.00 रु.
27	उत्तराखंड	125.00 रु.
28	गोवा	158.00 रु.
29	अंडमान और निकोबार	अंडमान जिला 178.00 रु. निकोबार जिला 189.00 रु.
30	दादरा और नागर हवेली	157.00 रु.
31	दमण और दीव	136.00 रु.

(1)	(2)	(3)
32	लक्षद्वीप	151.00 रु.
33	पुडुचेरी	132.00 रु.
34	चंडीगढ़	189.00 रु.

2. रिट याचिका संख्या 30619/2009 और संबद्ध मामलों में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित तारीख 23 सितम्बर, 2011 के ओदश पर विचार करते हुए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि कर्नाटक राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए 1-1-2009 को विद्यमान अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी 1-1-2009 को मनेरगा के अधीन अधिसूचित मजदूरी दर होनी चाहिए, कर्नाटक की बाबत ऊपर क्रम संख्यांक 9 पर मजदूरी दर 107.92 को लेकर निकाली गई है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसकी अपनी अधिसूचना संख्या एलडी, 96, एलएमडब्ल्यू-2005, तारीख, 30-7-2007 द्वारा उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर वीडीए (परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता) को सम्मिलित करके प्रत्येक वर्ष अभिवृद्धि करके अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 1 जनवरी, 2009 को न्यूनतम मजदूरी दर थी, जैसा कर्नाटक सरकार द्वारा अपने पत्र तारीख 16-3-2012 द्वारा रिपोर्ट किया गया, जिसे 1 जनवरी, 2009 को मनरेगा के अधीन मजदूरी दर के रूप में मानते हुए और सुसंगत अवधि के दौरान कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में प्रतिशतता वृद्धि को उसी रीति में लागू किया गया, जिस प्रकार अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए लागू किया गया है।

3. यह अधिसूचना माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष इजाजत अपील (सिविल), संख्या 379-390/2012 के निष्कर्ष के अध्यधीन होगी ।

[फा. सं. जे-11011/1/2009-एमजीएनआरईजीए-(भाग)]

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 82 (अ), तारीख 14 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।

(i) का.आ. 372(अ), तारीख 14 फरवरी, 2011;

(ii) का.आ. 1755(अ), तारीख 28 जुलाई, 2011।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2012

S.O. 578(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 82(E), dated the 14th January, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies the wage rate payable to the unskilled manual workers under column (3) in respect of the State or the Union Territory mentioned in column (2) of the Schedule given below, working on various Schemes under the said Act, with effect from 1st day of April, 2012, namely :—

SCHEDULE

State wise Wage rate for Unskilled Manual Workers (Rs. Per Day)

S.No	Name of State/Union Territory	Wage rate in Rs. Per Day
(1)	(2)	(3)
1	Assam	Rs. 136.00
2	Andhra Pradesh	Rs.137.00
3	Arunachal Pradesh	Rs. 124.00
4	Bihar	Rs 122.00
5	Gujarat	Rs. 134.00
6	Haryana	Rs. 191.00
7	Himachal Pradesh	Non-scheduled Areas-Rs. 126.00 Scheduled Areas-Rs. 157.00
8	Jammu and Kashmir	Rs.131.00
9	Karnataka	Rs. 155.00
10	Kerala	Rs.164.00
11	Madhya Pradesh	Rs. 132.00
12	Maharashtra	Rs. 145.00
13	Manipur	Rs.144.00
14	Meghalaya	Rs.128.00
15	Mizoram	Rs.136.00
16	Nagaland	Rs.124.00
17	Orissa	Rs.126.00
18	Punjab	Rs. 166.00
19	Rajasthan	Rs. 133.00
20	Sikkim	Rs. 124.00
21	Tamil Nadu	Rs.132.00
22	Tripura	Rs 124.00
23	Uttar Pradesh	Rs. 125.00
24	West Bengal	Rs. 136.00
25	Chhattisgarh	Rs. 132.00
26	Jharkhand	Rs.122.00
27	Uttrakhand	Rs.125.00
28	Goa	Rs.158.00
29	Andaman and Nicobar	Andaman District Rs. 178.00 Nicobar District Rs.189.00
30	Dadra and Nagar Haveli	Rs.157.00
31	Daman and Diu	Rs.136.00
32	Lakshadweep	Rs.151.00
33	Puducherry	Rs. 132.00
34	Chandigarh	Rs.189.00

2. Taking into consideration the Order dated 23rd September, 2011 passed by the Hon'ble High Court of Karnataka in WP No. 30619/2009 and connected cases, in which Hon'ble High Court has directed that the notified minimum wage prevailing on 01-01-2009 for agricultural labourers in the State of Karnataka should be the notified wage rate under MGNREGA on 01-01-2009, the wage rate at Sl. 9 above in respect of Karnataka has been worked out by taking Rs. 107.92, which was the minimum wage rate as on 1st January, 2009 for unskilled agricultural labourers fixed by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948 vide its notification no. LD.96.LMW.2005, dated 30-07-2007 with enhancement every year on the addition of VDA(Variable Dearness Allowance) based on the Consumer Price Index, as reported by Government of Karnataka vide its letter dated 16-03-2012, as the wage rate under MGNREGA as on 1st January, 2009 and applying to it the percentage increase in the Consumer Price Index for Agricultural Labourers (CPIAL) during the relevant period, in the same manner as has been done for other States/ Union Territories.

3. This notification shall be subject to the outcome of the Special Leave to Appeal (Civil) No. (s) 379-390/2012 pending before the Hon'ble Supreme Court.

[F. No. J-11011/1/2009-MGNREGA(Pt)]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 82(E), dated the 14th January, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) S.O. 372(E), dated the 14th February, 2011;

(ii) S.O. 1755(E), dated the 28th July, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.